न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2021/81

प्रार्थना पत्र संख्या 4/2021 तारीख रजू 17.02.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

..........प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र रामस्वरूप कोली निवासी ग्राम बालेर वाके ग्राम ईसरडा तहसील खण्डार।

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 16.01.2026

यह प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 29.06.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र रामस्वरूप कोली निवासी ग्राम बालेर वाके ग्राम ईसरडा तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 561/255 रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम ईसरडा में आदेश दिनांक 29/06/2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 561/255 रकबा 1.00 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत बालेर व पटवारी हल्का बालेर की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने व आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 561/255 रकबा 1.00 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत बालेर व पटवारी हल्का बालेर की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2021 के अनुसार आवंटियो का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। पुनःश्च तर्क किया कि खसरा गिरदावरी चौसाला सम्वत 2074–76 के अनुसार उक्त भूमि लगातार पड़त पड़ी हुई है जो कि आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। अन्त में पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 29.06.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:45:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी दिनेश कुमार पुत्र रामस्वरूप कोली निवासी बालेर को आराजी खसरा नम्बर 561/255 रकबा 1.00 बीघा आदेश दिनांक 29/06/2000 द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटित शुदा भूमि का गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 664 दर्ज होकर दिनांक 8/08/2001 को स्वीकार हुआ। भू अभिलेख निरीक्षक बालेर एवं पटवारी हल्का बालेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर–खातेदार दिनेश कुमार पुत्र रामस्वरूप कोली का खसरा सं0 561/255 रकबा 1.00 बीघा पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074 – 76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया गया है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 561/255 रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम ईसरडा पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 29/06/2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ईसरडा के आराजी खसरा नम्बर 561/255 रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम ईसरडा को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:45:05 IST
Reason: SelfAttested